



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3389 / SEIAA/2022

Date: 17/3/22

प्रति,
मेसर्स ध्रुव कन्स्ट्रक्शन,
प्लॉट नं. ए, 21, स्वास्तिक ग्रीन सिटी,
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 5591/2017 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ध्रुव कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं. ए, 21, स्वास्तिक ग्रीन सिटी, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 1,15,000 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 18/1, रकबा 6.0 हेक्टेयर, ग्राम धोलर, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में निर्णय लिया गया :-

- प्रकरण में SEAC की 303वीं बैठक दिनांक 23.12.2017 में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई तदुपरांत SEIAA समिति की 470वीं बैठक दिनांक 22.02.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क्र. 1960-61 दिनांक 14.03.2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-4 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु अगले पांच वर्ष के लिये उत्पादन क्षमता 9793 घनमीटर प्रतिवर्ष स्वीकृत माईन प्लान तथा प्रथम पांच वर्ष के लिये 1,15,000 घनमीटर प्रति वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
- भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधन "The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance."

प्रकरण में SEIAA समिति द्वारा विस्तृत विचार एवं ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 अनुसार यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण उत्पादन विस्तार क्षमता से संबंधित है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में उत्पादन विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ToR हेतु नये सिरे से ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत प्रकरण पर पुनः विचार किया जायेगा। सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उत्पादन विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ToR हेतु नये सिरे से ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत प्रकरण पर पुनः विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


पृ.क्र. 3390 /SEIAA/2022

दिनांक - 17/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।

3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी